**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः **92/2026** (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. सोहन लाल कोठारी निवासीः कन्याशाला के पास, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

**..............अपीलार्थी**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

**..................प्रत्यर्थी**

## प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

**दिनांकः** 21/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 19.02.2026 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा जिला कलक्टर उदयपुर को प्रेषित किये गये पत्र क्रमांक 98226 दिनांक 24.7.25 एवं 1308–10 दिनांक 23.01.26 के संबंध में दो बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/90/26/ 561–62 दिनांक 24.04.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प./41/2/सू.अ/प्र.अ.स./92/26/752–53 दिनांक 06.05.2026 से प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25.02.2026 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। चाही गई सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 577 दिनांक 17.03.2026 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) एवं 7(2) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क अनुसार नियमानुसार 2 रुपये प्रति पेज के माध्यम से कुल पृष्ठ संख्या 18 अनुसार राशि 36 रुपये राजकोष मे जमा कराने हेतु सूचित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी को

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.21 12:38:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22356963
M e-Sign

निर्देशित करे कि चाही गई सूचना के संबंध में वांछित शुल्क राजकोष में जमा करा उक्त सूचना प्राप्त करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना से संबंधित वांछित शुल्क जमा कराने हेतु जरिये पत्रांक 577 दिनांक 17.03.2026 से लिखा गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा वांछित शुल्क जमा नहीं कराये जाने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी। प्रथम दृष्टया यह कार्यालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी द्वारा वांछित शुल्क राजकोष में जमा कराया जाता है तो प्रत्यर्थी नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराये। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि. एवं**
**जिला कलक्टर, उदयपुर**

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.21 12:38:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22356963
M e-Sign